NO-2106/I-72-22 dated- 10.11.22

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई।

जनपद न्यायालय हरदोई में सेवानिवृत कर्मचारियो की पुनर्नियुक्ति के संबंध में सामान्य निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय, के परिपत्र संख्या- 14/Admin 'D' Section dated 15.10.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 13858 दिनांकित 1.11.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, हरदोई में सेवानिवृत स्टेनोग्राफर, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीमित अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित सामान्य नियम एवं शर्तों के अध्यधीन आमंत्रित किये जाते हैंः-

1- सेवानिवृत कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर जनपद के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी आवेदन कर सकेगें।

2- सेवानिवृत कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये की जायेगी। पुर्ननियुक्त कर्मचारीगण की सेवाएं जिस पद के सापेक्ष की जायेगी वह पद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरे जाने की दशा में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।

3- पुर्ननियुक्त सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन की धनराशि से वर्तमान पेंशन की धनराशि को घटाते हुये शेष धनराशि परिलब्धियों के रूप में देय होगी।

4- अभ्यर्थियों को अपने प्रार्थनापत्र के साथ उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित न होने और न ही किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिध्द किया गया है, संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5- अभ्यर्थियों को दो संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6- अभ्यर्थियों को सेवा में पुनर्नियुक्ति के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियुक्ति तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7- पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर आवेदन एवं साक्षात्कार हेतु दिनांक 11.11.2022 से प्रत्येक कार्यदिवस में 10:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर स्थित प्रशासनिक अनुभाग में उपस्थित होगें।

8- साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, हरदोई की वेबसाईट पर अपलोड करायी जाये एवं जिला सूचना अधिकारी हरदोई को स्थानीय/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु आदेश की प्रति प्रेषित हो। तथा बार के सूचना पटल पर एक प्रति चस्पा हो।

दिनांकः- 10.11.2022

R.K. Singh

(राज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।

DISTRICT JUDGE
HARDOI